राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक – प 16(1)साप्र/2/19 जयपुर, दिनांक : 13-09-2019

–: आदेश :–

श्री जयदीप सिन्हा कनिष्ठ सहायक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर जिनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 132बी/2018 व सेवानिवृति दिनांक 28.02.2050 है। श्री जयदीप सिन्हा के पिता स्व. श्री राजय कुमार सिन्हा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की राजकीय सेवा मे रहते हुए दिनाक 10.03.2018 को मृत्यु होने एवं श्री जयदीप सिन्हा को राजकीय सेवा मे अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम–17 के प्रावधानानुसार इस विभाग के आदेश क्रमांक प 17(1)साप्र/2/18 दिनांक 03.07.19 द्वारा राजकीय आवास संख्या 5/54, गांधीनगर, जयपुर आवंटित किया गया था। प्रकरण मे पुनः विचार कर राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम–27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए इन्हे आवंटित राजकीय आवास संख्या 5/54, गांधीनगर के स्थान पर इनके पिता स्व0 श्री राजय कुमार सिन्हा को आवंटित राजकीय आवास संख्या एफ–978, गांधीनगर, जयपुर का इनके नाम से नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

शर्ते –

1. आवास का कब्जा आवटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि मे कब्जा न लेने पर आवटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वय तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति मे इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूंकि उक्त अधिकारियो/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण मे आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवटन तक के लिए पात्र नही रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची मे अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र मे अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व सबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी –
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि मे आवंटी के द्वारा कोई स्वय/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर मे निजी आवास निर्मित/क्रय नही किया है।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदय की
आज्ञा से,

(हस्ताक्षर) 13/9/19
(बृज मोहन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव (जी.बी.), मुख्यमंत्री कार्यालय की आई.डी. क्रमांक एफ 19003464 दिनांक 11.09.19 के क्रम में।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावे।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावे।
5. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से किराया कटौती को सुनिश्चित करावे।
6. **अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।**
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर–कृपया आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
11. श्री जयदीप सिन्हा, कनिष्ठ सहायक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेगें एवं पूर्व आवंटित आवास का कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्भलवाकर इस विभाग को सूचित करेगे।
12. निजी सचिव शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (abbrev.) ।
13. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव 13/9/19

Scanned by CamScanner

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश **जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।**

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2	पिता/पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्पलॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8	आधार नंबर	
9.	मोबाईल नंबर	
10	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तिकर्ता विभाग	
14	पदस्थापन दिनांक	
15	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मैट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बेसिक पे	
18.	Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.	
19	Employee Status (Probationer/ Permanent etc.	
20	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस मध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नही हुआ है।	
21	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नही है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

Scanned by CamScanner